अनुसूची १४–फारम सं0–४६२

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १६४१ का नियम १२६)

आदेश पत्रक – ता0.....से.....तक

जिला....., सं0....., सन् १६.....

केस का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित ३

न्यायालय आयुक्त कोशी प्रमंडल, सहरसा

भूमि विवाद अपील वाद संख्याः 156/2012

बेचन साह –– अपीलार्थी

वनाम

राज्य एवं अन्य –– रेस्पाण्डेन्ट्स/विपक्षीगण

–:आदेशः–

प्रस्तुत अपील वाद अपीलकर्त्ता के द्वारा भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, सहरसा के द्वारा पारित आदेश दिनांकः 07.04.2012 ई० अंदर वाद संख्या– 153/11 के विरूद्ध खिलाफ रेस्पोण्डेन्ट के दाखिल किया गया है।

वाद पुकारा गया। उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुना तथा अभिलेख पर रक्षित कागजात का अवलोकन किया ।

प्रस्तुत अपीलवाद में संक्षेप में मामला यह है कि प्रस्तुत अपील वाद अपीलार्थी के द्वारा दिनांकः 27.05.2011 को भवदीय के जनता दरबार में एक आवेदन दिया गया जिसे भवदीय पत्रांकः 974/जन शिकायत/दिनांकः 08.07.11 के माध्यम से मौजाः नरियार, अन्तर्गत खाता पुरानाः 110, खाता नयाः 26, खेसरा पुरानाः 5082, खेसरा नयाः 7449 रकवाः 7 धूर भूमि के निश्वत आवश्यक कार्रवाई हेतु भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, सहरसा के पास भेजा गया जिसके आधार पर भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता के न्यायालय में भूमि विवाद वाद संख्याः 153/11 दायर हुआ।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता अपील आवेदन के माध्यम से यह कथन करते हैं कि संक्षेप में वाद यह है कि विपक्षी संख्याः 2 के द्वारा उपर्युक्त भूखण्ड से जबरन बेदखल कर दिया गया जो अपीलार्थी के दखल कब्जे में थी जिसपर अपीलार्थी सपरिवार रहते थें।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता आगे यह भी कथन करते हैं कि अपीलार्थी के पिता अनुप साह के पास 4 कट्ठा 06 धूर भूमि थी जिसे उन्होनें अपने जीवित रहते हुए ही अपने दो पुत्रों के बीच बराबर बराबर बांट दिया गया था वो दोनों के द्वारा स्थानीय पंचों के उपस्थिति में एक बंटवारानामा भी क्रियान्वित किया गया था। उक्त बंटवारा को अपीलार्थी के साथ ही उनके भाई सुशील कुमार साह के द्वारा मान लिया गया तथा दोनों द्वारा बंटवारा के करार पर हस्ताक्षर किया गया। इस प्रकार अपीलार्थी एवं उनके भाई प्रत्येक 2 कट्ठा 03 धूर भूमि पर दखलकार हुए। अपीलार्थी की सह हिस्सेदार विपक्षी

संख्याः 3 द्वारा अपने हिस्से की संपूर्ण भूमि को विभिन्न खरीदारों के हाथ बिक्री कर दिया गया जिसमें से विपक्षी संख्याः 2 द्वारा भी सह हिस्सेदार सुशील कुमार साह से 01 कट्ठा 01 धूर भूमि का क्रय किया गया। विपक्षी संख्याः 2 सुशील कुमार साह के साथ भूमि की बिक्री के उपरांत सुशील कुमार साह के पास कोई भूमि ोष नहीं रह गई लेकिन विपक्षी संख्याः 2 द्वारा विपक्षी संख्याः 3 के साथ ाजिसन अनूप साह की पत्नी श्रीमति शिबी देवी से अपीलार्थी के हक हिस्से की 07 धूर भूमि का सेल डीड प्राप्त कर लिया गया जिन्हें उक्त सेल डीड Execute करने का कोई अधिकार नहीं था।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता आगे यह कथन करते हैं कि उक्त 07 धूर भूमि के निश्वत केवाला दस्तावेज प्राप्त होने के उपरांत विपक्षी संख्याः 2 उक्त भूमि पर विवाद उत्पन्न करने लगे एवं अंततः कुछ अपराधियों के सहयोग से अपीलार्थी को उक्त भूमि से जबरन बेदखल कर दिए।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता आगे यह कथन करते हैं कि सी०आर०पी०सी० की धारा 144 अन्तर्गत दोनों पक्षों के बीच कारवाई भी हुई जिसकी सुनवाई के पश्चात् विज्ञ वरीय उप–समाहर्त्ता द्वारा विवादी भूमि पर अपीलार्थी का दखल पाया गया एवं अपीलार्थी के पक्ष में विपक्षी संख्याः 2 के विरूद्ध भूमि को खाली करने का निदेश दिया गया।

अपीलार्थी द्वारा भूमि विवाद वाद संख्याः 153/11 की सुनवाई के दौरान भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, सहरसा के समक्ष अपने संपूर्ण साक्ष्य को दाखिल किया गया परंतु विज्ञ भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, सहरसा द्वारा साक्ष्यों का आकलन किये बिना वो विधि के आवश्यक प्रावधानों के विपरीत यह कहते हुए आदेश पारित किया गया है कि इस वाद में स्वत्वता स्वत्व न्याय निर्णित करने का संश्लिष्ट पक्ष निहित है। पक्षकार उचित व्यवहार न्यायालय के समक्ष अपने अनुतोष पाने के लिए स्वतंत्र हैं।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता आगे यह कथन करते हैं कि इस वाद में स्वत्व के संश्लिष्ट प्रश्नों का प्रश्न नहीं है बल्कि यह वाद पूर्णतः प्रश्नगत भूमि के वास्तविक रैयत के भूमि से जबरन बेदखली से संबंधित वाद था।

विपक्षी अपने लिखित जबाब के माध्यम से कथन करते है कि विपक्षी द्वितीय का निम्नन्यायालय एवं इस न्यायालय में वाद यह है कि मौजा :नरियार, थाना सहरसा जिला– सहरसा अन्तर्गत खाता पूराना 110, खाता नया 26, खेसरा पूराना 5082, खेसरा नया 7449 कुल रकबा 4 कट्ठा 6 धूर भूमि स्व0 अनुप साह के द्वारा अर्जित थी एवं उनके स्वामित्व थी। उक्त अनुप साह अपने पीछे अपनी पत्नी सिबी देवी एवं दो पुत्र क्रमशः बेचन साह अपीलार्थी एवं सुशील कुमार साह विपक्षी संख्या 3 को छोड़कर स्वर्गवासी हो गये। अनुप साह के मरने के उपरांत उक्त तीनों अनुप साह की मरोसी सम्प्रति पर उत्तराधिकारी हुए । अनुप साह की मृत्यु के बाद विपक्षी संख्या 3 द्वारा कुल जरसम्न की राशि प्राप्त करते हुए विपक्षी संख्या 2 नूनूवती देवी के हाथ दिनांक 08.01.2003 को दो निबंधित दस्तावेजो के माध्यम से कुल रकबा एक कट्ठा पाँच धूर एवं चार धूर बिक्री कर दिया गया। बाद खरीदगी के नूनूवती देवी उक्त खरीदगी जमीन पर शांति पूर्वक दखल में हैं।

आगे यह भी कथन करते हैं कि अनुप साह की पत्नी सिबी देवी द्वारा कुल जरसम्न की राशि प्राप्त करते हुए कुल 7 धूर भूमि निबंधित केवाला दस्तावेज दिनांक 02.02.08 के माध्यम से विपक्षी संख्या 2 के हाथ बिकी कर दिया गया। इस प्रकार विपक्षी संख्या 2, 1 कट्ठा 8 धूर पर दखलकार हुयी।

आगे यह भी कथन करते हैं कि सिबी देवी द्वारा विक्री किया गया भूमि वाद का मुख्य विषय है। विपक्षी संख्या 2 द्वारा खरीदगी जमीन पर मकान का निर्माण कराया गया जहाँ वे सपरिवार रहती हैं। विपक्षी संख्या 2 द्वारा अंचलाधिकारी, सहरसा के समक्ष दाखिल खारीज हेतु आवेदन दिया गया जिसकी सम्यक जाँच की गयी एवं विपक्षी संख्या –2 का शांतिपूर्वक दखल पाते हुए दाखिल खारीज वाद संख्या 265/06–07 के माध्यम से दाखिल

खारीज स्वीकृत किया गया। विपक्षी संख्या 2 जमाबंदी संख्या 5716 के माध्यम से बिहार सरकार को मालगुजारी का भुगतान करती हैं।

आगे यह भी कथन करते हैं कि इस वाद में स्वत्व संबंधी संशिलिस्ट प्रश्नों के निर्धारण का प्रश्न निहित था जो कि सुशील कुमार (भाई) अन्य अपीलार्थी एवं सिबी देवी अपीलार्थी की माता के द्वारा निबंधित बिकी दस्तावेज कियान्वित किया गया था। अतएवं निम्नन्यायालय द्वारा कार्रवाई को बन्द करने का निर्णय सही है।

सरकारी विज्ञ अधिवक्ता बहस के कम में सरकार के पक्ष में बहस करते हुए निम्नन्यायालय द्वारा पारित आदेश को न्यायोचित बतलाते हैं।

उभयपक्ष के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुनने एवं अभिलेख के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि निम्न न्यायालय द्वारा मामले की विस्तृत एवं सम्यक विवेचना करते हुए न्यायोचित आदेश पारित किया गया है। इसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होता है। अस्तु अपील अस्वीकृत। इसी के साथ वाद निस्तारित किया जाता है।

लेखाप्रित एवं संशोधित।

आयुक्त
कोशी प्रमंडल, सहरसा

आयुक्त
कोशी प्रमंडल, सहरसा